-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा 03 वर्षों से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट के 25 हजार रुपए के इनामियां वांछित अभियुक्त को उड़ीसा से किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा 03 वर्षों से फरार 25 हजार रुपए के इनामियां गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 01/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना थानाध्यक्ष मटौंध द्वारा की जा रही थी, तथा अभियुक्त पिछले 03 वर्षो से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम थाना मटौन्ध पुलिस द्वारा अभियुक्त को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरेश कुमार अहिरवार पुत्र मोहनलाल निवासी ब्लाक न0-13 मकान न0-146 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

आपराधिक इतिहास नरेश कुमार अहिरवार उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 1009/04 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर महोबा।
2. मु0अ0सं0 382/22 धारा 3/25 A ACT थाना कोतवाली नगर महोबा।
3. मु0अ0सं0 247/22 धारा 395/397/412 भादवि थाना कोतवाली देहात बांदा।
4. मु0अ0सं0 01/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह
2. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार